मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020

MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
GORAKHPUR (U.P.)

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ.प्र.)

MALAVIYA CHHATRA KALYAN NIDHI RULES-2020
मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020

MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GORAKHPUR (U.P.)

MALAVIYA CHHATRA KALYAN NIDHI RULES-2020

1. Short title:

These rules may be called the Malaviya Chhatra Kalyan Nidhi Rules, 2020.

2 Commencement:

These rules will come into effect from academic session 2021-22.

3. Scope:

It will apply on every student seeking degree from the University.

4 Definitions:

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

a. 'Accident' means an accident resulting into death/permanent or partial disability of student or death of parent.

b. 'Chhatra' means student studying in the University.

c. 'NIDHI' means the Malaviya Chhatra Kalyan Nidhi (MCKN).

d. 'Parent' means the father/mother of a student.

e. 'Permanent disability' means the loss of sight of both eyes of student or physical separation of two entire hands or physical separation of two entire feet or physical separation of one entire hand and one entire feet or sight of one eye and physical separation of at least one entire foot etc.

f. 'Partial disability' means the loss of sight of one eye or physical separation of one entire hand or physical separation of one entire foot etc.

g. 'Samiti' means the Malaviya Chhatra Kalyan Nidhi Samiti.

h. 'Student' means a registered student pursuing studies in Madan Mohan Malaviya University of Technology Gorakhpur.

i. 'University' means Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur.

j. 'Vice-Chancellor' means the Vice-Chancellor, Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur.

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ.प्र.)

मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली–2020

1. संक्षिप्त नाम :

यह नियमावली मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली– 2020 कही जाएगी।

2 प्रारंभ :

यह नियमावली शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रभावी होगी।

3. प्रभाव क्षेत्र :

यह नियमावली विश्वविद्यालय की उपाधि हेतु अध्ययनरत सभी छात्रों पर लागू होगी।

4 परिभाषाएं :

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

a. 'दुर्घटना' का तात्पर्य ऐसी दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप छात्र की मृत्यु अथवा आंशिक/स्थायी विकलांगता अथवा माता–पिता की मृत्यु हो जाने से है।

b. 'छात्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र से है।

c. 'निधि' का तात्पर्य मालवीय छात्र कल्याण निधि (एम. सी. के. एन.) से है।

d. 'माता–पिता' का तात्पर्य छात्र के पिता/माता से है।

e. 'स्थायी विकलांगता' का तात्पर्य छात्र की दोनों आँखों की दृष्टि खो जाने अथवा दोनों हाथों के शरीर से अलग हो जाने अथवा दोनों पैरों के शरीर से अलग हो जाने अथवा एक पूरे हाथ और एक पूरे पैर के शरीर से अलग हो जाने अथवा एक आँख की दृष्टि खो जाने और कम से कम एक पूरे पैर के शरीर से अलग हो जाने आदि से है।

f. 'आंशिक विकलांगता' का तात्पर्य छात्र की एक आंख की दृष्टि खो जाने अथवा एक पूरे हाथ के शरीर से अलग हो जाने अथवा एक पूरे पैर के शरीर से अलग हो जाने आदि से है।

g. 'समिति' का तात्पर्य मालवीय छात्र कल्याण निधि समिति से है।

h. 'छात्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु पंजीकृत छात्र से है।

i. 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर से है।

j. 'कुलपति' का तात्पर्य मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति से है।

5. Constitution of NIDHI:

The NIDHI will be constituted from the amount collected from each student of the university as students welfare fees. The university will collect the fees at the time of registration for odd semester.

6. Objectives of NIDHI:

The objectives of the NIDHI are to-

(a) provide compensation to student in the event of accident resulting into permanent/total/partial disability of student.

(b) provide compensation to parents if a student dies.

(c) provide complete university fee remittance to student to continue his/her studies for the remaining period of programme (subject to minimum period of course completion) if his parent/earning member dies.

(d) Provide reimbursement of up to Rs. 50,000/- (maximum) shall be done on the production of necessary bill brochure/receipt for treatment of critical illnesses of a student.

7. Administration of NIDHI:

The NIDHI shall be administrated by a Governing Body to be called the Malaviya Chhatra Kalyan Nidhi Samiti, constituted as follows:

i.	Dean of Student Affairs	Chairman
ii.	Dean of Planning Resource Generation and Alumni Relation	Member
iii.	Chairman, Council of Student Activities	Member
iv.	HODs of respective department	Member
v.	Controller of Finance	Treasurer
vi.	Registrar	Member
vii.	One Nominee from Dean UGS & E / Dean PGS and R&D	Member Secretary

8. Meetings:

At least one meeting of the Samiti shall be convened during a year, but the Chairman of the Samiti may convene meeting of the Samiti any time when he considers it necessary.

5. निधि का गठन :

निधि का गठन विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से छात्र कल्याण शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। विश्वविद्यालय छात्रों से यह शुल्क विषम सेमेस्टर के पंजीकरण के समय प्राप्त करेगा।

6. निधि के उद्देश्य :

निधि के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे : –

(a) दुर्घटना के परिणामस्वरूप छात्र की स्थायी/पूर्ण/आंशिक विकलांगता की दशा में छात्र को क्षतिपूर्ति प्रदान करना।

(b) छात्र की मृत्यु की दशा में माता–पिता को क्षतिपूर्ति प्रदान करना।

(b) माता–पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में छात्र को अध्ययन जारी रखने हेतु पाठ्यक्रम की शेष अवधि (पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि के अधीन) के लिए समस्त विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(c) छात्र की गंभीर बीमारी के उपचार हेतु रु. 50,000/– (अधिकतम) तक की प्रतिपूर्ति आवश्यक बिल/वाउचर/रसीद प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

7. निधि का संचालन :

निधि का संचालन एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा जिसे मालवीय छात्र कल्याण निधि समिति कहा जाएगा जो निम्नवत संघटित होगी : –

(i)	अधिष्ठाता छात्र मामले	अध्यक्ष
(ii)	अधिष्ठाता नियोजन, स्त्रोत जनन एवं पुरातन छात्र सम्बन्ध	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष, छात्र क्रिया कलाप परिषद्	सदस्य
(iv)	सम्बंधित विभाग के विभागध्यक्ष	सदस्य
(v)	वित्त नियंत्रक	कोषाध्यक्ष
(vi)	कुलसचिव	सदस्य
(vii)	अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता/अधिष्ठाता परास्नातक अध्ययन तथा शोध एवं विकास द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य सचिव

8. बैठक :

समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी, परन्तु समिति का अध्यक्ष समिति की बैठक कभी भी, जब उसे ऐसा करना आवश्यक लगे, आहूत कर सकता है।

9. Proceedings:

A record of the proceedings of the meeting of the Samiti shall be kept by the Chairman of the Samiti.

10. Office:

(a) The office of the Samiti shall be the office of the Dean of Student Affairs.

(b) The treasurer of the Samiti shall be the Controller of Finance, Madan Mohan Malaviya University of Technology Gorakhpur and shall be responsible for the proper maintenance of its accounts and annual audit.

11. Budget and Corpus Fund:

(a) The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance to student and also the university can utilize this fund for the student's welfare.

(b) The Samiti shall recommend the financial assistance and compensation to students or their parents as per criterion mentioned in the rules.

12. Criteria of Sanctions of assistance:

The criterion for sanctions of assistance shall be as follows:

(a) A student, whose earning member of parent dies may be exempted for paying the total university fee excluding mess charges for remaining period of his/her course and hence, entire university fee prevalent at that time will be paid by the university.

(b) Compensation of Rs.1.00 Lakh will be paid to parent of a student (excluding suicidal case) who dies nor due to an accident during the study period.

(c) A reimbursement of up to Rs.50,000/- (maximum) shall be done on the production of necessary bill brochure/receipt for treatment of critical illnesses (such as Cancer, Heart Stroke, Heart Attack, Organ Transplant, Kidney Failure, Loss of Eyesight, Loss of Speech, Loss of Hearing, Alzheimer's Disease, Aortic Surgery, Coma, Heart Valve Surgery, Multiple Sclerosis, Parkinson's disease, Paraplegia, Coronary artery bypass graft, HIV etc.)

9. कार्यवाही का विवरण :

समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

10. कार्यालय :

(a) अधिष्ठाता छात्र मामले का कार्यालय ही समिति का कार्यालय होगा।

(b) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक समिति का कोषाध्यक्ष होगा तथा समिति के लेखा एवं वार्षिक लेखा परीक्षण के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

11. बजट एवं कार्पस कोष :

(a) निधि हेतु छात्रों से प्राप्त धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय इस कोष का प्रयोग छात्रों के कल्याण हेतु करेगा।

(b) समिति इस नियमावली में वर्णित मापदंडों के अनुरूप छात्रों अथवा उनके माता–पिता को आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति दिए जाने की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करेगी।

12. सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति हेतु मापदंड :

सहायता प्रदान किये जाने हेतु मापदंड निम्नलिखित होंगे : –

(a) ऐसा छात्र, जिसके माता–पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, को पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए समस्त विश्वविद्यालय शुल्क, मेस शुल्क को छोड़कर, के भुगतान से छूट प्रदान कर दी जाएगी, अतः तत्समय में प्रचलित समस्त विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(b) किसी छात्र के अध्ययनकाल में किसी दुर्घटना में/ के कारण मृत्यु हो जाने (आत्महत्या को छोड़कर) की स्थिति में माता–पिता को रु. 1.00 लाख की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

(c) गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, हृदयाघात, अंग प्रत्यारोपण, किडनी फेल्योर, आँखों की रोशनी नष्ट होना, बोलने की क्षमता नष्ट हो जाना, सुनने की क्षमता नष्ट हो जाना, अल्जाइमर, एओर्टिक सर्जरी, कोमा, हृदय वॉल्व सर्जरी, मल्टीपल सिरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, पैरापेलिया, कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट, एचआईवी आदि) के उपचार हेतु अधिकतम रु. 50,000/– (पचास हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति आवश्यक बिल/वाउचर/रसीद प्रस्तुत करने के उपरांत की जा सकेगी।

(d) A sum of Rs.1,00,000/- will be paid to a student who is permanently disabled due to an accident.

(e) A sum of Rs.50,000/-will be paid to a student who is partially disabled due to an accident.

(f) Compensation will not be paid to those students who have not completed their required formalities within study period.

13. Sanction of assistance/compensation:

(a) The committee of the Samiti shall examine the applications every year for financial assistance from the NIDHI.

(b) Application for financial assistance and compensation from the NIDHI to students shall be presented to the committee of the Samiti in the prescribed format i.e. **MCKN**. He will also indicate the financial assistance and scholarship, if any, the applicant is getting from other sources and it's amount.

(c) Deaths in suicide cases will not be covered for any assistance /compensation.

(d) The research students, who are already appointed and employed, anywhere will not come in the purview of these rules.

(e) In the event of death of student in accident or otherwise, the compensation will be given to parents only.

(f) In the event of the death of the student or death of earning member of parent, the application on prescribed format **(MCKN)** duly filled alongwith the necessary complete documents (self-attested) must reach the University within 90 days from the date of the death and the payment of compensation shall then be considered by the University. In case of delay beyond this period, the application for compensation shall not be entertained.

(g) The committee shall recommend financial assistance/ compensation on applications received for approval to Vice-Chancellor through Registrar and Controller of Finance. Vice Chancellor has sole power to consider/ modify /approve / reject the recommendation of the committee.

14. Maintenance of accounts:

The accounts of the NIDHI shall be maintained by Finance Controller, Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur.

(d) किसी दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में छात्र को रु. 1,00,000/– प्रदान किये जाएँगे।

(e) किसी दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में छात्र को रु. 50, 000/– प्रदान किये जाएँगे।

(f) ऐसे छात्र जिन्होंने अध्ययनकाल के दौरान निर्धारित औपचारिकतायें पूरी न की हों, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

13. सहायता/क्षतिपूर्ति की स्वीकृति :

(a) समिति द्वारा गठित कमेटी प्रत्येक वर्ष निधि से आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेगी।

(b) निधि से छात्रों को आर्थिक सहायता एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने सम्बन्धी समस्त आवेदन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही समिति (एम.सी.के.एन.) द्वारा गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँगे। आवेदक को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हो रही आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करना होगा।

(c) आत्महत्या से मृत्यु के मामले किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति के लिए मान्य नहीं होंगे।

(d) शोध छात्र, जो पूर्व से कहीं नियुक्त और कार्यरत हैं, इन नियमों के दायरे में नहीं आएँगे।

(e) छात्र की दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु की दशा में केवल माता–पिता को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

(f) छात्र अथवा माता–पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप (एम.सी.के.एन.) पर विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों (स्व–प्रमाणित) सहित मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जाने के उपरांत क्षतिपूर्ति पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाएगा। इस अवधि से अधिक देरी के मामले में, आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(g) समिति प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता/क्षतिपूर्ति हेतु अपनी अनुशंसाएं कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के माध्यम से कुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। कुलपति के पास समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने, उसमें संशोधन करने और उसे अनुमोदित/अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

14. लेखा अनुरक्षण :

निधि का लेखा अनुरक्षण वित्त नियंत्रक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा किया जाएगा।

Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur (U.P.)

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE/ COMPENSATION FROM MALAVIYA CHHATRA KALYAN NIDHI (MCKN)

A. Personal details of student:

1. Name of Student:…………………………………………………………..…..……

   Course……………… Branch………………………...…Year/Sem…...……….........

2. Marital Status:…………………………….………………………………………

3. Gender:……………………………………………………………………………….

4. University Roll no.: ....

5. Father's Name:……………………….……………………………………………

   (Guardian's name if father not alive)

6. Mother's Name:…………………………………………………………………..

7. Contact Number:…………………………..Email id:……………………………….

8. Permanent Address:

   ……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………….

9. Present Address:

   ……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………….

B. Details of death, if applicable

1. Name of Deceased:……………………………………………………….………….

2. Is Deceased a student or Father/Mother? Specify: ……………………...…………

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)

मालवीय छात्र कल्याण निधि (एम.सी.के.एन.) से आर्थिक सहायता/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

A. छात्र का व्यक्तिगत विवरण :

1. छात्र का नाम : ....

   पाठ्यक्रम ....ब्रांच.......................वर्ष/सेमेस्टर ....

2. वैवाहिक स्थिति : ....

3. लिंग : ....

4. विश्वविद्यालय अनुक्रमांक : ....

5. पिता का नाम : ....

   (अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित न हों तो)

6. माता का नाम : ....

7. टेलीफोन/संपर्क नंबर : .... ई–मेल पता : ....

8. स्थायी पता : ....

   ....

   ....

9. वर्तमान पता : ....

   ....

B. मृत्यु का विवरण, यदि लागू हो

1. मृतक का नाम : ....

2. क्या मृतक छात्र है या माता/पिता? उल्लेख करें : ....

   ....

   ....

3. The deceased was earning/not earning ……………………………..………………..

   If earning, specify full details/description……………………………………………

4. Cause of death: Natural/Accidental/Illness: ……………………………………………..

5. Date of Death (Attach certificate from the competent authority) …………………

C. <u>Details of disability of student, if applicable</u> (Attach certificate from the competent authority/CMO).**:---**

D. <u>Amount Claimed for Medical reimbursement</u> (Attach Certified Bill Voucher from Competent Authority): **---**

(Signature of Student / Father/Guardian)

E. <u>Fee deposited in current year</u>

University Fee:	Date of Deposit:………………………………
	Amount Deposited: …………………………...
	Chalan No etc: ……………………………….

3. मृतक जीविकोपार्जन कर रहा था/नहीं कर रहा था : ....

....

यदि मृतक जीविकोपार्जन कर रहा था, तो पूरा विवरण दें : ....

4. मृत्यु का कारण/स्वाभाविक/दुर्घटना/बीमारी : ....

5. मृत्यु की तिथि (कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

....

C. छात्र की विकलांगता का विवरण, यदि लागू हो (कृपया सक्षम प्राधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें):

....

D. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावे की राशि (कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/रसीद संलग्न करें) :

....

(छात्र/माता/पिता के हस्ताक्षर)

E. वर्तमान सत्र में जमा किये गए शुल्क का विवरण : –

विश्वविद्यालय शुल्क :	जमा करने की तिथि : .... जमा की गयी राशि : .... भुगतान सन्दर्भ/चालान संख्या : ....

F. Declaration by Student /Parent

I ………………………………………………………………………………………………

S/o/ D/o/ Father/Mother of Shri ……………………………………………….……………………

do hereby declare that the information and particulars furnished in this application are correct, accurate and complete to the best of my knowledge and belief. I promise that in case any of aforesaid information is found incorrect the compensation sanctioned from University will be returned.

(Signature of Student / Father)

F. छात्र / माता–पिता द्वारा घोषणा

मैं ....

पुत्र / पुत्री / माता / पिता ....एतद द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र में दी गयी सूचना और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही, सटीक एवं पूर्ण है। मैं वचन देता / देती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी जानकारी के गलत / अपूर्ण पाए जाने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि वापस कर दी जाएगी।

(छात्र / माता / पिता के हस्ताक्षर)